संख्या–3035/आठ–1–12–185विविध/10

प्रेषक,

कृपा शंकर शुक्ल
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– आवास आयुक्त
आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

2– उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण
(कानपुर, बरेली, मुरादाबाद व बुलन्दशहर को छोड़कर)
उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 30 अक्टूबर, 2012

विषय : निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत विकलांगजन हेतु बाधारहित वातावरण के सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन व आपको प्रेषित मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–1412/व0नि0(3)/तकनीकी– विविध/2012–13 दिनांक 13.09.2012 व अनुस्मरण पत्र दिनांक 04.10.12 का कृपया सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरण कार्यालय भवन में रैम्प, रेलिंग, लिफ्ट, सीढ़ी, व्हील चेयर का उपयोग करने वालों के लिए उपयुक्त शौचालय, टेकटाईल फ्लोरिंग इत्यादि का प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु धनराशि के आगणन सहित प्रस्ताव प्रमुख सचिव, विकलांग कल्याण अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 13.09.12 द्वारा की गयी अपेक्षानुसार प्रश्नगत कार्यों हेतु धनराशि के आगणन सहित प्रस्ताव प्रमुख सचिव, विकलांग कल्याण अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन को शीर्ष प्राथमिकता पर दिनांक 04.11.12 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति शासन एवं नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कृपा शंकर शुक्ल)
अनु सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, विकलांग कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ।
2– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्रांक 1597/व0नि0(3)/तकनीकी–विविध/2012–13 दिनांक 04.10.12 के कम में।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर शुक्ल)
अनु सचिव

I. Singh/G.O.